

न्यायालय:-द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, तहसील बैहर, जिला

बालाघाट (म0प्र0)

समक्ष:-दिलीप सिंह

व्यवहार वाद क.-300105/2012

संस्थापन दिनांक-17.10.2012

परमिलाबाई वल्द सुमेरसिंह उर्फ सुमेरसिंह, उम्र 24 साल,
जाति गोंड, निवासी जयसिंगटोला, व्यवसाय कास्तकारी,
तहसील बैहर, जिला बालाघाट (म.प्र.) - - - - - वादिनी

/ / विरुद्ध / /

- 1- कमलाबाई जौजे सुबेलाल, जाति गोंड,
निवासी करेली तहसील बैहर, जिला बालाघाट (म.प्र.)
- 2- मूलचंद धुर्वे वल्द फत्तेसिंह धुर्वे, उम्र 22 साल,
जाति गोंड निवासी जयसिंगटोला, तहसील बैहर,
जिला बालाघाट (म.प्र.)
- 3- श्रीमति तिजनबाई जौजे मूलचंद धुर्वे, उम्र 30 साल,
जाति गोंड निवासी जयसिंगटोला, तहसील बैहर,
जिला बालाघाट (म.प्र.)
- 4- तीरथप्रसाद वल्द हरिप्रसाद उम्र 42 साल, जाति गोंड,
निवासी जयसिंगटोला, तहसील बैहर, जिला बालाघाट (म.प्र.)
- 5- मध्यप्रदेश राज्य द्वारा कलेक्टर, तहसील व जिला बालाघाट (म.प्र.)

- - - - - प्रतिवादीगण

-:: निर्णय ::-

(आज दिनांक-20/12/2017 को घोषित)

1- वादिनी ने यह व्यवहार वाद प्रतिवादीगण के विरुद्ध मौजा जयसिंगटोला प. ह.नं. 49 रा.नि.मं. बिरसा, तहसील बैहर जिला बालाघाट स्थित खसरा नम्बर 13/1, 19/15, 28/1 रकबा क्रमशः 2.38, 0.40, 12.27 कुल रकबा 15.05 एकड़ भूमि (जिसे आगे विवादित भूमि से सम्बोधित किया जावेगा) पर स्वत्व की घोषणा, संशोधन पंजी एवं विक्रय पत्र को प्रभावशून्य घोषित करने तथा उक्त विक्रय की गई 6.57 एकड़ भूमि का प्रतिवादी क्रमांक-2 व 3 से रिक्त आधिपत्य प्राप्त करने हेतु पेश किया है। प्रकरण में माननीय द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश महोदय के द्वारा व्यवहार अपील क्रं.-13ए/2015 निर्णय दिनांक 15.02.20016 के द्वारा इस न्यायालय के मूल व्यवहार वाद क.-10ए/2012 निर्णय दिनांक 31.07.2014 को अपास्त कर निर्णय की कंडिका-19 के अनुसार वादप्रश्न विरचित कर एवं निर्णय की कंडिका-20 के अनुसार वादप्रश्नों पर उभय पक्षों को साक्ष्य का अवसर देकर गुणदोष के आधार पर निर्णय पारित किये जाने के आदेश किया था उक्त आदेश के पालन में पुनः निर्णय किया जा रहा है।

2- प्रकरण में यह स्वीकृत तथ्य है कि वादिनी एवं प्रतिवादी क्रमांक-1 आपस में रिश्तेदार है। मूल पुरुष गुलाल वादिनी के दादा एवं प्रतिवादी क्रमांक-1 के

नाना थे। गुलाल के फौत उपरान्त उसके वारसान विधवा सुक्कलबाई, पुत्र सुमेरसिंह एवं पुत्री गेन्दाबाई थे, जो फौत हो चुके हैं। वादिनी परमिलाबाई, सुमेरसिंह की पुत्री है तथा प्रतिवादी क्रमांक-1 कमलाबाई, गेन्दाबाई की पुत्री है। दिनांक-23.12.1977 को मूल पुरुष गुलाल से प्राप्त सम्पत्ति खसरा नम्बर 13 रकबा 7.38 एकड़ भूमि में से 5.00ए. भूमि सुक्कलबाई ने तथा खसरा नम्बर 28 रकबा 13.27 एकड़ में से 1.00ए. भूमि सुमेरसिंह ने विक्रय कर दी थी। दिनांक-07.03.1983 को सुक्कलबाई ने खसरा नम्बर 19.15 रकबा 0.80 एकड़ में से 0.40 एकड़ भूमि विक्रय कर दिया। इस प्रकार मूल पुरुष गुलाल से प्राप्त सम्पत्ति में से बचत भूमि खसरा नम्बर 13 रकबा 7.38 एकड़ भूमि में से 2.38 एकड़ तथा खसरा नम्बर 19/15 रकबा 0.80 एकड़ में से 0.40 एकड़ तथा खसरा नम्बर 28 रकबा 13.27 एकड़ में से 12.27 एकड़ जुमला रकबा 15.05 एकड़ है।

3— वादिनी का वाद स्वीकृत तथ्य छोड़कर संक्षेप में इस प्रकार है कि वादिनी के आजा गुलाल की मृत्यु सन् 1950 में हुई थी, उस समय गुलाल के वारिस पुत्र सुमेरसिंह, पत्नि सुक्कलबाई तथा पुत्री गेन्दाबाई जीवित थे। हिन्दू विधि के अनुसार गुलाल के पुत्र सुमेरसिंह व पत्नि सुक्कलबाई का नाम विवादित भूमि के राजस्व अभिलेख में दर्ज हुआ तथा प्रतिवादी क्रमांक-1 की माता गेन्दाबाई ने सुक्कलबाई की मृत्यु उपरान्त चोरी छिपे राजस्व कर्मचारी से मिलजुल कर विवादित भूमि के राजस्व अभिलेख में अपना नाम दर्ज करा लिया। गुलाल की प्राप्त सम्पत्ति में से सुक्कलबाई 5.40 एकड़ भूमि एवं सुमेरसिंह ने 1.00 एकड़ भूमि का विक्रय किया। वर्तमान में विवादित भूमि का कुल रकबा 15.05 एकड़ है, जिस पर वादिनी का एकमात्र हक व स्वत्व है। वादिनी के पिता सुमेरसिंह की मृत्यु सन् 1981 में तथा सुक्कलबाई की मृत्यु सन् 1984 के आसपास हुई थी। वादिनी विवादित भूमि पर वयस्क होने के उपरान्त काबित कास्त रही है। दिनांक-15.06.2012 को वादिनी द्वारा कास्त करने के दौरान प्रतिवादी क्रमांक-2 से 4 द्वारा मना करने एवं धमकी दिये जाने पर वादिनी को शंका हुई तो उसने पटवारी के राजस्व रिकार्ड के संबंध में जानकारी प्राप्त की, तब उसे ज्ञात हुआ कि विवादित भूमि में से लगभग 7.00 एकड़ भूमि को गेन्दाबाई एवं कमलाबाई ने प्रतिवादी क्रमांक-2 से 4 को रजिस्टर्ड विक्रय के माध्यम से विक्रय कर दी थी।

4— वादीगण एवं प्रतिवादीगण गोंड आदिवासी हैं जो स्वयं की रुढ़ी से शासित होते हैं उनकी रुढ़ी के अनुसार विवाह के पश्चात पुत्र होते हुए पुत्रियों को अचल संपत्ति में कोई स्वत्व नहीं होता है। प्रतिवादी क्रमांक-1 की माता गेन्दाबाई ने सुमेरसिंह की मृत्यु उपरान्त वादिनी के नाबालिक होने की स्थिति का फायदा

उठाकर अवैध रूप से वादिनी के साथ अपना नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज करा लिया। उसके उपरान्त गेन्दाबाई ने चोरी छिपे विवादित भूमि में से 1.50 एकड़ भूमि दिनांक-29.05.1984 को तीरथप्रसाद को विक्रय कर दी। बचत भूमि बंटवारा करने के उपरांत दिनांक-09.02.2011 को एवं दिनांक-04.01.2012 को प्रतिवादी क्रमांक-1 ने अवैध रूप से प्रतिवादी क्रमांक-2 एवं प्रतिवादी क्रमांक-3 को भूमि का विक्रय कर दिया। अतएव उक्त विक्रय पत्र दिनांक-09.02.2011 को एवं दिनांक-04.01.2012 को तथा उसके आधार पर इन्द्राज संशोधन पंजी को प्रभावशून्य घोषित किया जावे। वादिनी को विवादित भूमि का बचत रकबा 6.57 एकड़ भूमि का रिक्त आधिपत्य प्रतिवादी क्रमांक-2 एवं 3 से दिलाया जावे।

5— प्रतिवादी क्रमांक-1 लगा. 3 ने स्वीकृत तथ्य को छोड़कर वादिनी के सम्पूर्ण अभिवचन से इंकार करते हुए जबाब दावा में अभिवचन किया है कि मूल पुरुष गुलाल के फौत होने के पश्चात् उसके वारसान के रूप में पत्नि सुक्कलबाई पुत्र सुमेरसिंह एवं पुत्री गेन्दाबाई का नाम विवादित भूमि में दर्ज हुआ। सुक्कलबाई एवं सुमेरसिंह द्वारा गुलाल से प्राप्त भूमि में से 6.40 एकड़ भूमि विक्रय पश्चात् 15.05 एकड़ भूमि बचत रही, जिस पर वादिनी एवं प्रतिवादी क्रमांक-1 का समान हक है। वादिनी तथा प्रतिवादी क्रमांक-1 की माता गेन्दाबाई के बीच बचत भूमि का आपसी बंटवारा हुआ। जिसमें वादिनी के नाम पर 6.78 एकड़ भूमि तथा प्रतिवादी क्रमांक-1 की मां गेन्दाबाई के नाम पर 8.26 एकड़ भूमि राजस्व अभिलेख में दर्ज हुई। वादिनी के द्वारा असत्य आधार पर दावा पेश किया गया है। अतएव वादिनी का वाद सव्यय निरस्त किया जावे।

6— प्रतिवादी क्र.04 ने वादिनी के वादपत्र का जवाब दावा प्रस्तुत कर स्वीकृत तथ्य को छोड़कर वादिनी के सम्पूर्ण अभिवचन से इंकार करते हुए जवाब दावा के विशेष कथन में बताया है कि उसके नाबालिग अवस्था में उसके पिता द्वारा भूमि सर्वे क्र. 28/3 में से रकबा 1.50ए. भूमि दिनांक 29.05.1984 को गेन्दाबाई से कय की थी। प्रति.क्र.04 की नाबालिग अवस्था में उसके पिता द्वारा उक्त भूमि पर कृषि कार्य किया जाता था। पिता की मृत्यु होने के उपरांत प्रति.क्र.04 उक्त भूमि पर कृषि कार्य करता चला आ रहा है। उक्त भूमि पर वादिनी का कोई हक नहीं है। दिनांक 29.05.1984 का विक्रय पत्र वादिनी पर बंधनकारक है। वादिनी द्वारा भूमि को रखने के लिए बेमियाद दावा प्रस्तुत किया है। प्रति.क्र.04 ने वादिनी का वादपत्र निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

7— प्रकरण में प्रति.क्र.05 दिनांक 09.05.2013 को एकपक्षीय हुआ है इस कारण प्रति.क्र.05 की ओर से वादिनी के वाद पत्र का जवाब दावा नहीं दिया गया है।

8— वादिनी के वाद पत्र एवं प्रति.क्र.01 लगा. 04 के जवाब दावा क आधार पर तत्कालीन विद्वान पूर्व पीठासीन अधिकारी ने वादप्रश्न क्र 01 लगा. 05 विरचित किये थे, जिनके समक्ष विधि एवं साक्ष्य की विवेचना के अनुसार विवेचना कर निष्कर्ष अंकित किये गये हैं :-

क्र.	वाद-प्रश्न	निष्कर्ष
1	क्या वादिनी का मौजा जयसिंगटोला प.ह.नं.-49, रा.नि.मं. बिरसा स्थित खसरा नम्बर 13/1, 19/15, 28/1 रकबा कमशः 2.38, 0.40, 12.27 एकड़ भूमि पर एकमात्र स्वत्वाधिकार है ?	“प्रमाणित”
2	क्या संशोधन पंजी दिनांक-28.03.1981 व दिनांक-20.06.1984 वादिनी पर प्रभावशून्य है ?	“प्रमाणित”
3	क्या विक्रय पत्र दिनांक-09.02.2011 एवं दिनांक-04.01.2012 प्रभावशून्य होकर वादिनी पर अबधनकारी है ?	“प्रमाणित”
4	क्या वादिनी खसरा नम्बर 13/1 रकबा 2.38 एकड़ में से 1.19 एकड़ भूमि व खसरा नम्बर 28/1 रकबा 12.27 एकड़ में से 5.38 एकड़ भूमि कुल रकबा 6.57 एकड़ भूमि प्रतिवादी क्रमांक 2 एवं 3 से प्राप्त करने की हकदार है ?	“प्रमाणित”
5	सहायता एवं वादव्यय ?	निर्णय की कण्डिका-20 के अनुसार वादिनी का वाद पत्र डिक्री किया गया।

9— माननीय द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश महोदय के व्यवहार अपील क्रं. -13ए/2015 निर्णय दिनांक 15.02.20016 में निर्मित अतिरिक्त वादप्रश्न :-

क्र.	अतिरिक्त वाद-प्रश्न	निष्कर्ष
1	क्या प्रतिवादी क्रमांक-01 कमलाबाई का विवादग्रस्त संपत्ति पर सुक्कलबाई के जीवनकाल में विधि-विरुद्ध दर्ज हुआ है ?	“ प्रमाणित ”
2	क्या वादिनी का वाद प्रतिवादी क्रमांक-01 के विरुद्ध परिसीमा बाह्य है ?	“ प्रमाणित नहीं ”

—:: सकारण निष्कर्ष ::—

वाद प्रश्न क्र. 1 से 4 का निराकरण

10— वादप्रश्न क्र. 1 लगा. 4 एक-दूसरे से संबंधित हैं। प्रकरण में साक्ष्य की पुनरावृत्ति नहीं हो, इस कारण वादप्रश्न क्र. 1 लगा. 4 का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

11— परमिलाबाई वा.सा.01 ने उसके अभिवचन के अनुरूप उसके मुख्य परीक्षण में कथन करते हुए बताया है कि भूमि सर्वे क्र. 13 रकबा 7.38ए., सर्वे क्र. 28 रकबा 13.27ए., सर्वे क्र. 19/15 रकबा 0.80डि. कुल 21.45 एकड़ भूमि मौजा जयसिंगटोला प.ह.नं. 49, रा.नि.मं. एवं तहसील बिरसा जिला बालाघाट में स्थित है। सर्वे क्र. 13 रकबा 7.38ए. भूमि में से रकबा 5.00ए. भूमि सुक्कलबाई ने सुकन एवं श्यामलाल को दिनांक 23.12.1977 को विक्रय कर दी है एवं सर्वे क्र. 28 रकबा 13.27ए. भूमि में से 1.00ए. भूमि साक्षी के पिता सुमेरसिंह ने रामलाल एवं गुह्वा को विक्रय कर दी थी। भूमि सर्वे क्र. 19/15 रकबा 0.80ए. में से दिनांक 07.03.83 को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के द्वारा सुक्कलबाई ने 0.40डि. भूमि तीर्थप्रसाद को विक्रय कर दी है। इस प्रकार वादपत्र के पैरा-4 में उल्लेखित भूमि में से विक्रय होने के बाद 15.05ए. भूमि शेष बची है। जिसकी वादिनी स्वामी एवं आधिपत्यधारी है। वादिनी ने उसके मुख्य परीक्षण के पत्र क्रमांक-2 में उसके अभिवचन के अनुरूप कथन किये हैं। वादिनी की साक्ष्य की पुष्टि उसके साक्षी परसू वा.सा.02, रामलाल वा.सा.02ए, गुमानसिंह मेरावी वा.सा.03, लीलाबाई वा.सा. 03ए ने उनके मुख्य परीक्षण के शपथ पत्र की साक्ष्य में की है। वादिनी ने उसके पक्ष में अपनी दस्तावेजी साक्ष्य में प्र.पी.01 लगा. प्र.पी.13 के राजस्व दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं।

12— कमलाबाई प्रति.सा.01 ने उसकी साक्ष्य में वादिनी की साक्ष्य का खण्डन करते हुए उसके अभिवचन के अनुरूप कथन करते हुए बताया है कि गेन्दाबाई उसकी मां थी। गेन्दाबाई गुलाल की पुत्री थी। मौजा जयसिंगटोला प.ह.नं. 49, रा. नि.मं. एवं तहसील बिरसा जिला बालाघाट की 21.45ए. भूमि गुलाल के फौत होने के बाद राजस्व प्रलेखों में गुलाल की पत्नी सुक्कलबाई, पुत्र सुमेरसिंह एवं पुत्री गेन्दाबाई के नाम पर दर्ज हुई थी। उक्त भूमि में से 5.00ए. भूमि सुक्कलबाई ने सुकन एवं श्यामलाल को 1.00ए. भूमि वादिनी के पिता ने रामलाल एवं गुह्वा को सर्वे क्र. 19/15 रकबा 0.80ए. में से दिनांक 07.03.83 को सुक्कलबाई ने 0.40डि. भूमि तीर्थप्रसाद को विक्रय की है। इस प्रकार सम्पूर्ण भूमि में से 15.05ए. भूमि शेष बची है। जिसमें वादिनी एवं प्रति.क्र.01 का समान हक है। गुलाल की मृत्यु होने के बाद उसके वारसान उक्त भूमि पर कृषि कार्य करने लगे थे। वर्ष 1980-81 में वादिनी के पिता सूबेसिंह के फौत होने के चार पांच वर्ष बाद वादिनी की माता के फौत होने के बाद उक्त भूमि पर वादिनी की नाबालिग अवस्था में बली आजा एवं वादिनी की मां गेन्दाबाई का नाम उक्त भूमि पर दर्ज हुआ था। प्रति.क्र.01 ने उसके मुख्य परीक्षण की साक्ष्य के पैरा-3, 4 में उसके अभिवचन के अनुरूप

कथन किये हैं। कुवरसिंह प्रति.सा.02, मूलचंद धुर्वे प्रति.सा.03, किशनसिंह प्रति.सा.04 ने उनके मुख्य परीक्षण के शपथ पत्र की साक्ष्य में प्रतिवादिनी के अभिवचन के अनुरूप कथन करते हुए प्रतिवादीगण की साक्ष्य का समर्थन किया है। प्रतिवादीगण ने उनके पक्ष में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है।

13— प्रकरण में वादिनी द्वारा प्रस्तुत वर्ष 1954-55 के अधिकार अभिलेख पंजी प्र.पी.01 में वाद पत्र के पैरा-4 में उल्लेखित विवादित भूमि गुलाल के नाम पर दर्ज थी। वर्ष 1978-80 लगा. 1981-82 के खसरा पांचसाला प्र.पी.02 की प्रमाणित प्रतिलिपि में सुमेरसिंह एवं सुक्कलबाई का नाम भूमि स्वामी एवं आधिपत्यधारी के रूप में दर्ज है। दिनांक 16.04.1984 की संशोधन पंजी क.01 प्र.पी.03 में ग्राम जयसिंगटोला के भूमि सर्वे क.13/1 रकबा 2.38ए., सर्वे क 19/5 रकबा 0.40डि., सर्वे क 28/1 रकबा 12.27ए. कुल 15.05ए. भूमि सुक्कलबाई के फौत होने के उपरांत वादिनी परमिलाबाई एवं प्रति.क.01 की मां गेन्दाबाई के नाम पर दर्ज हुई थी। इसी प्रकार प्र.पी.04 की संशोधन पंजी के द्वारा भूमि सर्वे क. 13/1 में से 1.19ए., भूमि सर्वे क. 19/15 में से 0.20डि., सर्वे क 28/1 में से 5.39ए. कुल 6.78ए. भूमि वादिनी के नाम पर एवं भूमि सर्वे क 13/1 में से 1.19ए., सर्वे क. 19/15 में से 0.20डि., सर्वे क 28/1 में से 6.88ए., कुल 8.26ए. भूमि परमिलाबाई एवं गेन्दाबाई के मध्य आपसी बंटवारे के आधार पर अलग-अलग खाते के रूप में उनके नाम पर दर्ज हुई थी। वादिनी के बालिग होने के बाद प्र.पी.04 की संशोधन पंजी में उल्लेखित भूमि प्र.पी.05 की संशोधन पंजी के द्वारा वादिनी के नाम पर दर्ज हुई थी। दिनांक 25.05.98 की संशोधन पंजी क.02 प्र.पी.06 के द्वारा भूमि सर्वे क. 13/3 रकबा 1.19ए., सर्वे क 19/60 रकबा 0.20डि., सर्वे क 28/3 रकबा 5.38ए. भूमि गेन्दाबाई के फौत होने के कारण उसकी वारसान प्रति.क.01 कमलाबाई के नाम पर दर्ज हुई थी।

14— वादिनी द्वारा प्रस्तुत वर्ष 1993-94 लगा. 1996-97 के खसरा पांचसाला प्र.पी.07 में प्र.पी.04 की संशोधन पंजी में उल्लेखित भूमि वादिनी के नाम पर दर्ज है। वर्ष 1998 लगा. 2001-02 के खसरा पांचसाला प्र.पी.08 में प्र.पी.06 की संशोधन पंजी में उल्लेखित भूमि प्रति.क.01 की मां के नाम पर दर्ज है। दिनांक 25.12.1975 की संशोधन पंजी प्र.पी.11 के द्वारा ग्राम जयसिंगटोला की भूमि सर्वे क. 13 रकबा 7.38ए., सर्वे क 19/15 रकबा 0.80डि., सर्वे क 28 रकबा 13.27ए. कुल 21.45ए. भूमि में से सर्वे क 13 में से 4.00ए. भूमि वादिनी के पिता एवं माता द्वारा विक्रय करने के कारण सुकमनबाई के नाम पर दर्ज हुई थी। दिनांक

12.03.1981 की संशोधन पंजी प्र.पी.12 के द्वारा ग्राम जयसिंगटोला की भूमि सर्वे क्र. 13/1 रकबा 2.38ए., सर्वे क्र 19/15 रकबा 0.80डि., सर्वे क्र 28 रकबा 13.27ए. कुल 16.45ए. भूमि सुमेरसिंह के फौत होने के कारण सुक्कलबाई, गेन्दाबाई एवं वादिनी के नाम पर दर्ज हुई थी। दिनांक 23.11.1985 की संशोधन पंजी प्र.पी. 13 के द्वारा ग्राम जयसिंगटोला की भूमि सर्वे क्र 13/3 रकबा 1.19ए., सर्वे क्र. 19/60 रकबा 0.20डि., सर्वे क्र 28/3 रकबा 6.88ए. कुल रकबा 8.27ए. भूमि गेन्दाबाई के नाम पर एवं भूमि सर्वे क्र. 28/3 में से रकबा 1.50ए. भूमि गेन्दाबाई द्वारा प्रति.क्र.04 को विक्रय करने के कारण उसके नाम पर दर्ज हुई थी।

15— प्रकरण की प्रति.क्र.01 कमलाबाई गेन्दाबाई की पुत्री है। कमलाबाई ने प्र. पी.09 के दिनांक 09.02.2011 के रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा ग्राम जयसिंगटोला की भूमि सर्वे क्र. 28/3 में से रकबा 5.38ए. भूमि प्रति.क्र.02 एवं 03 को विक्रय की थी। प्रति.क्र.01 ने दिनांक 04.01.2012 के रजिस्टर्ड विक्रय पत्र प्र.पी.10 के द्वारा भूमि सर्वे क्र. 13/3 रकबा 1.19ए. भूमि प्रति.क्र.02 को विक्रय की थी।

16— प्रकरण में वादिनी ने वाद पत्र के पैरा-7 की भूमि को विवादग्रस्त भूमि बताया है। विवादग्रस्त भूमि मूल-पूरुष गुलाल के स्वामित्व की थी। गुलाल की मृत्यु के बाद एवं वादिनी की मां की मृत्यु के बाद विवादग्रस्त भूमि पर प्र.पी.03 की संशोधन पंजी के द्वारा वादिनी एवं प्रति.क्र.01 की मां गेन्दाबाई का नाम दर्ज हुआ था। प्रति.क्र.01 की मां ने प्र.पी.04 की संशोधन पंजी के द्वारा विवादग्रस्त भूमि में से आपसी बंटवारे के द्वारा 8.27ए. भूमि स्वयं के नाम पर बंटवारा कराकर प्राप्त कर ली थी एवं गेन्दाबाई की मृत्यु होने के कारण प्र.पी.06 की संशोधन पंजी के द्वारा 6.77ए. भूमि कमलाबाई ने अपने नाम पर दर्ज करा ली थी। कमलाबाई विवादग्रस्त भूमि में से 6.57ए. भूमि प्र.पी.09 एवं प्र.पी.10 के रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के द्वारा विक्रय कर चुकी है। वादिनी एवं प्रति.क्र.01 गोंड जाति की हैं। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा-2 (2) की उपधारा-(1) में यह बताया गया है कि “अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट कोई भी बात किसी ऐसी जनजाति के सदस्यों को जो संविधान के अनुच्छेद 366 के खण्ड (25) के अर्थ के अन्तर्गत अनुसूचित जनजाति हो, लागू न होगी जब तक कि केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा अन्यथा निदिष्ट न कर दे।”

17— प्रश्नाधीन प्रकरण की वादिनी गोंड जाति की है, गोंड जाति में स्त्रीयों को पिता की संपत्ति में हक नहीं मिलता है। वादिनी उसके पिता माता की एक मात्र संतान है। वादिनी के खानदानी सिजरा के अनुसार वादिनी के अतिरिक्त उसके

पिता का कोई वानसान नहीं है। इस कारण वादिनी का उसके पिता की विवादग्रस्त भूमि पर हक एवं हिस्सा बनता है। प्रति.क.01 वादिनी के पिता की बहन की पुत्री है इस कारण प्रति.क.01 का विवादग्रस्त भूमि पर कोई हक हिस्सा नहीं बनता है। दिनांक 20.06.1984 की प्र.पी.04 की संशोधन पंजी के द्वारा प्रति.क.01 की माता का नाम विवादग्रस्त भूमि के रकबा 8.27ए. भूमि पर अवैध रूप से दर्ज हुआ था एवं दिनांक 28.03.1981 की संशोधन पंजी प्र.पी.12 के द्वारा विवादग्रस्त भूमि पर परमिलाबाई के नाम के साथ प्रति.क.01 की मां का नाम अवैध रूप से दर्ज हुआ था। प्र.पी.03 की संशोधन पंजी के द्वारा भी विवादग्रस्त भूमि पर वादिनी के साथ प्रति.क.01 की मां का नाम अवैध रूप से दर्ज हुआ था। इस कारण उक्त संशोधन पंजीयां विधि विरुद्ध होने से शून्य एवं अवैध हैं। प्रति.क.01 ने प्र.पी.06 की संशोधन पंजी के द्वारा उसकी माता की मृत्यु होने के कारण अवैध रूप से विवादग्रस्त भूमि में से रकबा 6.77ए. भूमि पर अपना नाम दर्ज कराया था इस कारण उक्त संशोधन पंजी अवैध है। प्रति.क.01 ने बिना अधिकारिता के विवादग्रस्त भूमि अपने नाम पर दर्ज कराकर प्र.पी.09 एवं प्र.पी.10 के रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के द्वारा अवैध रूप से 6.57ए. भूमि विक्रय की है इस कारण प्र.पी.09 एवं प्र.पी.10 के विक्रय पत्रों को प्रभाव शून्य किया जाना उचित है एवं वादिनी प्रति.क.02 एवं 03 से उक्त भूमि प्राप्त करने की अधिकारी है। वादिनी उसके माता पिता की एक मात्र संतान होने के कारण विवादग्रस्त भूमि की स्वामी एवं आधिपत्यधारी है इस कारण वादिनी को विवादग्रस्त भूमि की स्वामी एवं आधिपत्यधारी माना जाता है। वादिनी विवादग्रस्त भूमि को प्रतिवादीगण से प्राप्त करने की अधिकारी है। वादप्रश्न क.01 लगा.04 का निष्कर्ष "प्रमाणित है" के रूप में दिया जाता है।

अतिरिक्त वाद प्रश्न क्र.1 का निराकरण:-

18— इस वाद प्रश्न में यह देखा जाना है कि कमलाबाई का नाम विवादग्रस्त संपत्ति पर सुक्कलबाई के जीवनकाल में विधि विरुद्ध दर्ज हुआ था। प्र.पी.03 की संशोधन पंजी के द्वारा सुक्कलबाई के फौत होने के कारण विवादग्रस्त भूमि पर परमिलाबाई के साथ प्रति.क.01 की माता का नाम दर्ज हुआ था। प्रति.क.01 की माता गेन्दाबाई की मृत्यु होने के कारण प्र.पी.06 की संशोधन पंजी के द्वारा विवादग्रस्त भूमि के रकबा 6.77ए. भूमि पर कमलाबाई का नाम दर्ज हुआ था। प्रति.क.01 की मां गेन्दाबाई द्वारा भूमि विक्रय की थी, जिसका उल्लेख प्र.पी.13 की संशोधन पंजी में है। गेन्दाबाई ने बिना अधिकारिता के भूमि विक्रय की थी इस कारण प्र.पी.13 की संशोधन पंजी अवैध है। निर्णय के पैरा-15 में संशोधन पंजी प्र.पी.03, 04, 06, 12 एवं प्र.पी.13 को अवैध माना गया है इस कारण यह प्रमाणित

माना जाता है कि प्रति.क.01 का नाम विवादग्रस्त संपत्ति पर विधि विरुद्ध रूप से दर्ज हुआ था।

अतिरिक्त वाद प्रश्न क्र.-2 का निराकरण:-

19— प्रश्नाधीन प्रकरण में विवादग्रस्त संपत्ति पर प्रति.क.01 की मां एवं उसकी मृत्यु के बाद प्रति.क.01 का नाम विधि विरुद्ध रूप से दर्ज हुआ था। इस कारण विवादग्रस्त भूमि से संबंधित जो प्रविष्टियां हैं वह विधि विरुद्ध हैं इस कारण वादिनी का दावा परिसीमा बाह्य नहीं है।

वाद प्रश्न क्र.-5 का निराकरण-सहायता एवं व्यय:-

20— प्रकरण की उपरोक्त विवेचना में वादिनी विवादग्रस्त भूमि सर्वे क. 13/1 रकबा 2.38ए., सर्वे क. 19/15 रकबा 0.40ए., सर्वे क. 28/1 रकबा 12.27ए. मौजा जयसिंगटोला प.ह.नं. 49 रा.नि.मं. एवं तहसील बिरसा जिला बालाघाट के संबंध में अपना वादपत्र प्रमाणित करने में सफल रही है। अतः वादिनी का वादपत्र स्वीकार किया जाकर निम्न आशय की डिक्री पारित की जाती है:-

1. यह घोषित किया जाता है कि वादिनी विवादग्रस्त भूमि सर्वे क. 13/1 रकबा 2.38ए., सर्वे क. 19/15 रकबा 0.40ए., सर्वे क. 28/1 रकबा 12.27ए. भूमि मौजा जयसिंगटोला प.ह.नं. 49 रा.नि.मं. बिरसा जिला बालाघाट की एक मात्र स्वामी एवं आधिपत्यधारी है।
2. यह घोषित किया जाता है कि वादिनी भूमि सर्वे क. 13/1 रकबा 2.38ए., भूमि में से रकबा 1.19 एकड़ एवं सर्वे क. 28/1 रकबा 12.27ए. भूमि में से 5.38 एकड़ भूमि कुल रकबा 6.57ए. भूमि प्रति.क.02 एवं 03 से प्राप्त करने की अधिकारी है।
3. यह घोषित किया जाता है कि दिनांक 28.03.1981 एवं दिनांक 20.06.1984 की राजस्व संशोधन पंजी प्रभावशून्य है।
4. यह घोषित किया जाता है कि दिनांक 09.02.2011 एवं दिनांक 04.01.2012 के विक्रय पत्र शून्य होकर वादिनी पर अबंधनकारी हैं।
5. प्रतिवादीगण वादिनी का वाद व्यय वहन करेंगे।
6. अभिभाषक शुल्क नियमानुसार देय होगी।

तदानुसार डिक्री बनायी जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित,
हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित।

(दिलीप सिंह)

द्वितीय व्य0न्याया0 वर्ग-1
तहसील बैहर, जिला बालाघाट

(दिलीप सिंह)

द्वितीय व्य0न्याया0 वर्ग-1
तहसील बैहर, जिला बालाघाट